न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 168 / 2022 **दायर दिनांकः 16 / 12 / 2022**

उनवान

1. दिशा आयु 38 वर्ष पुत्री विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. मयंक कुमार पुत्र विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां हाल कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 06 / 02 / 2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की ग्राम हनुवतखेडा तहसील अटरू में खाता संख्या 100 की ख0नं0 6 रकबा 0.11 है0 एवं खाता 22, खाता संख्या 182, खाता संख्या 166 की भूमि स्थित है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिल गौर है। वादीगण के नाम उक्त जमाबंदी खाता संख्या 100 में नाबालिग दर्ज है जो गलत दर्ज है। वादीगण बालिग हो गये है एवं वादिया क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज किया जावे एवं वादीगण को बालिग दर्ज किया जावे। वादीगण के खाता संख्या 22 और खाता संख्या 181 में भी वादीगण बालिग दर्ज है एवं रितु का नाम दिशा दर्ज है जो श्रीमान के फैसले दिनांक 16.02.2022 से दर्ज हुये है। खाता संख्या 100, 22, 182 व 166 में वादीगण के पिता का नाम विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार दर्ज किया जावे। वादीगण के पिता का नाम विजय कुमार दर्ज है। वादीगण के पिता के दो नाम है विजय कुमार और बृजेन्द्र कुमार। इसलिए ग्राम हनुवतखेडा की आराजी खाता संख्या 100, 22, 182, 166 में वादीगण के पिता के नाम के स्थान पर विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार दर्ज करने का आदेश प्रदान करें एवं वादीगण की माता अरूणा के नाम के पीछे भी स्व0 विजय कुमार के स्थान पर

विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार करने का आदेश प्रदान करें। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण को बालिग दर्ज किया जाना एवं वादिया क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज किया जाना एवं वादीगण के पिता का नाम विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार दर्ज किया जाना संभव नहीं है। यदि वादीगण का नाम, बालिग एवं वादीगण के पिता का सही नाम दर्ज नहीं किया गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा वादीगण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेगें। इसलिए वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण को बालिग दर्ज किया जावे एवं वादिया क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज किया जावे तथा वादीगण के पिता का नाम विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार दर्ज किया जावे एवं वादीगण की माता अरूणा के नाम के पीछे भी अरूणा के पति का नाम स्व0 विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें। वाद कारण प्रथम बार व अन्तिम बार दिनांक 25.11.2022 को वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से नाबालिग व नाम गलत दर्ज होने की जानकारी मिलने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः–

(क) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 100, 166 में वादीगण को बालिग दर्ज किया जावे एवं वादिया क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर सही नाम दिशा दर्ज किया जावे तथा खाता संख्या 100, 22, 182, 166 में वादीगण के पिता का नाम विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार दर्ज किया जावे एवं वादीगण की माता अरूणा के नाम के पीछे भी अरूणा के पति का नाम स्व0 विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

(ख) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के अनुतोष पर कोई आपत्ति पेश नहीं की

एवं सीधे बहस करने का निवेदन किया गया। अभिभाषक वादीगण द्वारा भी साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया गया।

3. अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम हनुवतखेडा की खाता संख्या 100, व 166 में वादीगण नाबालिग दर्ज दर्ज है जबकि ग्राम हनुवतखेडा के ही खाता संख्या 22 व 182 में भी वादीगण बालिग दर्ज है। वादीगण कक्षा 10 की अंकतालिका अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके है। अभिभाषक वादीगण द्वारा पुनः कथन किया गया कि ग्राम हनुवतखेडा के खाता संख्या 22 में प्रकरण संख्या 01/2022 में श्रीमान के फैसले दिनांक 16.02.2022 की पालना में वादी क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर दिशा भार्गव दर्ज हो चुका है। अतः शेष खाता संख्या 100, व 166 में वादिया का नाम रितु की जगह दिशा दर्ज किया जावे।

अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे कथन किया कि वादिया रितु उर्फ दिशा के पिता के बोलचाल में दो नाम है–विजय कुमार व ब्रजेन्द्र कुमार। ग्राम हनुवतखेडा के खाता संख्या 22, 100, 166 व 182 में वादीगण के पिता का नाम दर्ज है अतः वादीगण के पिता का वास्तविक नाम विजयकुमार उर्फ ब्रजेन्द्र कुमार दर्ज किया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

4. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम हनुवतखेडा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 की खाता संख्या 100 ख0नं0 6 रकबा 0.11 है0 में वादीगण नाबालिग दर्ज है। वादीगण द्वारा पेश वादी क्रम 2 की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 की अंकतालिका दिनांक 07.06. 1999 में वादी क्रम 2 की जन्म दिनांक 24.12.1984 अंकित है तथा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2022 में जारी निर्णय दिनांक 16.02.2022 में अंकित वादिया क्रम 1 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका व आधार कार्ड अनुसार वादिया क्रम 1 को नाबालिग से बालिग दर्ज किया गया था। अतः यह प्रमाणित होता है कि वादीगण 18 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके है।

इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 48/2020 में जारी निर्णय दिनांक 08.08.2021 एवं प्र0सं0 1/2022 में जारी निर्णय दिनांक 16.02.2022 के अनुसार वादिया क्रम 1 का नाम ग्राम हनुवतखेडा की आराजी ख0नं0 100, 182 व 166 में रितु उर्फ दिशा किया जाना न्यायोचित है।

वादीगण द्वारा पेश वादी क्रम 2 मयंक भार्गव की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की अंकतालिक क्रमांक 1106447 दिनांक 07.06.1999 के अनुसार वादी क्रम 2 के पिता का नाम विजय कुमार भार्गव एवं माता का नाम अरूणा भार्गव है। ग्राम हनुवत खेडा के खाता संख्या 22, 100, व 182 में वादीगण के पिता व अरूणा के पति का नाम विजय कुमार अंकित है जबकि खाता संख्या 166 में वादीगण के पिता व अरूणा के पति का नाम ब्रजेश कुमार अंकित है। वादीगण द्वारा पेश अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक 44 दिनांक 04.03.1989 की फोटोकॉपी के अनुसार वादीगण के पिता का नाम विजय कुमार उर्फ ब्रजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीकृष्ण भार्गव अंकित है। अतः वादीगण के पिता का नाम विजय कुमार उर्फ ब्रजेन्द्र कुमार किया जाना न्यायोचित होगा।

5. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम हनुवतखेडा की विवादित आराजी के संबंध में वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::<u>क्रियात्मक आदेश</u>::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम हनुवतखेडा तहसील अटरू में खाता संख्या 100 की ख0नं0 6 रकबा 0.11 है0 तथा खाता संख्या 166 के ख0नं0 402 रकबा 0.12 है0 में वादी क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर दिशा तथा वादीगण को नाबालिग से बालिग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम अनुवतखेडा की आराजी खाता संख्या 22, 100, 166 व 182 में वादीगण के पिता व वादीगण की माता अरूणा के पति का नाम विजय कुमार के स्थान पर विजय कुमार उर्फ ब्रजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/02/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 168/2022 **दायर दिनांकः 16/12/2022**

उनवान

1. दिशा आयु 38 वर्ष पुत्री विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. मयंक कुमार पुत्र विजय कुमार उर्फ बृजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां हाल कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम हनुवतखेडा तहसील अटरू में खाता संख्या 100 की ख0नं0 6 रकबा 0.11 है0 तथा खाता संख्या 166 के ख0नं0 402 रकबा 0.12 है0 में वादी क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर दिशा तथा वादीगण को नाबालिग से बालिग दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम अनुवतखेडा की आराजी खाता संख्या 22, 100, 166 व 182 में वादीगण के पिता व वादीगण की माता अरूणा के पति का नाम विजय कुमार के स्थान पर विजय कुमार उर्फ ब्रजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 06.02.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)